बिहार सरकार
परिवहन विभाग

ई–मेल / निबंधित	पत्रांक–02 / कर / शुल्क–05 / 2020, परि0 2503	पटना, दिनांक–5/4/2021

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से0
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार ।
पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना।
सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार।
सभी प्रवर्त्तन निरीक्षक / प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, बिहार।

विषय :– मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की कतिपय धाराओं को दिनांक–01.04.2021 से लागू करने के संबंध में।

प्रसंग :– सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–का0आ0 1231(अ), दिनांक–11.03.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के कतिपय धाराओं को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–का0आ0 3110 (अ), दिनांक–28.08.2019 एवं अधिसूचना संख्या–का0आ0–3311 (अ), दिनांक–25.09.2020 के आलोक में क्रमशः इस विभाग के पत्रांक–6473, दिनांक–30.08.2019 एवं पत्रांक–7360, दिनांक–06.10.2020 द्वारा लागू किये जाने के संबंध में निदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

उपर्युक्त के क्रम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–का0आ0 1231(अ), दिनांक–11.03.2021 द्वारा मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा–39 एवं धारा–40 को **दिनांक–01.04.2021** से प्रभावी किया गया है, जो मोटरयान अधिनियन, 1988 की मूल धारा–110, 110क एवं 110ख को प्रभावी किये जाने से संबंधित है।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–110 उक्त अधिनियम के अध्याय–7, जो मोटरयानों का निर्माण, उपस्कर एवं अनुरक्षण के संबंध में है, के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है, जबकि धारा–110क एवं धारा–110ख क्रमशः मोटरयानों को वापस बुलाने एवं किस्म अनुमोदन प्रमाण–पत्र और परीक्षण अभिकरण से संबंधित है।

अतः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–का0आ0 1231(अ), दिनांक–11.03.2021 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

सुलभ–संदर्भ हेतु मोटरयान (संशोधन), 2019 की प्रति बिहार सरकार, परिवहन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन
26/3
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

E:\RAJEEV SIR\LETTERS.docx

ज्ञापांक :– 02/कर/शुल्क–05/2020, परि0 2503 पटना, दिनांक– 5/4/2024

प्रतिलिपि :– सभी प्रधान सचिव/पुलिस महानिदेशक, बिहार/सचिव/विभागाध्यक्ष को उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

E:\RAJEEV SIR\LETTERS.docx

ज्ञापांक :– 02/कर/शुल्क–05/2020, परि0 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– सभी प्रधान सचिव/पुलिस महानिदेशक, बिहार/सचिव/विभागाध्यक्ष को उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 02/कर/शुल्क–05/2020, परि0 2503 पटना, दिनांक– 5/4/2021

प्रतिलिपि :– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, बिहार, पटना/आई0टी0मैनेजर, परिवहन विभाग बिहार, पटना को उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, बिहार, पटना से अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने की कृपा की जाय।

3. आई0टी0मैनेजर, परिवहन विभाग बिहार, पटना से अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

E:\RAJEEV SIR\LETTERS.docx

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032021-225940
CG-DL-E-16032021-225940

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1143] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2021/फाल्गुन 25, 1942
No. 1143] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2021/PHALGUNA 25, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11मार्च, 2021

का.आ. 1231(अ).—मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 32) की धारा (1) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तरीख 1 अप्रैल, 2021 को ऐसी तरीख नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 39 और धारा 40 के उपबंध प्रवृत्त होगे।

[सं. आर टी-11036/63/2019-एमवीएल (भाग 1)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2021

S.O. 1231(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 (32 of 2019), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2021 as the date on which the provisions of section 39 and section 40 of the said Act shall come into force.

[RT-11036/63/2019-MVL (Part 1)]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

1652 GI/2021

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032021-225940
CG-DL-E-16032021-225940

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1143] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2021/फाल्गुन 25, 1942
No. 1143] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2021/PHALGUNA 25, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11मार्च, 2021

का.आ. 1231(अ).—मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 32) की धारा (1) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तरीख 1 अप्रैल, 2021 को ऐसी तरीख नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 39 और धारा 40 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[सं. आर टी-11036/63/2019-एमवीएल (भाग 1)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2021

S.O. 1231(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 (32 of 2019), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2021 as the date on which the provisions of section 39 and section 40 of the said Act shall come into force.

[RT-11036/63/2019-MVL (Part 1)]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

1652 GI/2021

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032021-225940
CG-DL-E-16032021-225940

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1143] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2021/फाल्गुन 25, 1942
No. 1143] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2021/PHALGUNA 25, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11मार्च, 2021

का.आ. 1231(अ).—मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 32) की धारा (1) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तरीख 1 अप्रैल, 2021 को ऐसी तरीख नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 39 और धारा 40 के उपबंध प्रवृत्त होगे।

[सं. आर टी-11036/63/2019-एमवीएल (भाग 1)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2021

S.O. 1231(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 (32 of 2019), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 2021 as the date on which the provisions of section 39 and section 40 of the said Act shall come into force.

[RT-11036/63/2019-MVL (Part 1)]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

1652 GI/2021

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR